

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(2)/योजना/बजटघोषणा./2020-21/ दिनांक
निदेशक
पशुपालन विभाग,
जयपुर।

विषय :- संस्था विहिन ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के संबंध में।

संदर्भ :-बजट घोषणा 2020-21 एवं शासकीय स्वीकृति क्रमांक एफ.वी.1(2)(2)/योजना/ बजटघोषणा/2020-21/5940 दिनांक 17.08.2020 एवं 6448,दिनांक 16.10.2020

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-28 की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 200 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र संस्था विहिन ग्राम पंचायतों में खोले जाने हैं। इस संबंध में निम्नलिखित 14 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को खोले जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम जंहा नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोला जाना है।
1	बांसवाडा	छोटी सरवन	कुडल	कुडल
2	बांसवाडा	बांसवाडा	विडियापाडा (गाँधीनगर)	विडियापाडा (गाँधीनगर)
3	बांसवाडा	गनोडा	दौलत सिंह का गडा	दौलत सिंह का गडा
4	बांसवाडा	घाटोल	नरोतों की गोज	नरोतों की गोज
5	उदयपुर	खेरवाडा	परबीला	परबीला
6	प्रतापगढ	अरनोद	बेडमा	बेडमा
7	प्रतापगढ	अरनोद	रायपुर	रायपुर
8	डूंगरपुर	डूंगरपुर	काकरादरा	काकरादरा
9	डूंगरपुर	डूंगरपुर	चकमहुडी	चकमहुडी
10	झुञ्जुनु	सिंघाना	सिलारपुरी	रायपुर जाटान
11	अलवर	कदूमर	कुट्टीन साहबदास	कुट्टीन साहबदास
12	अलवर	रामगढ	जातपुर	मीणापुरा
13	नागौर	नागौर	साडोकन	साडोकन
14	हनुमानगढ	पीलीबंगा	डबली बास कुतुब	डबली बास कुतुब

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी संख्या 152000473 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की गयी है।